कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राम कुमार तिवारी, राजेन्द्र नगर, उरई-जालौन।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**008 / 12, 09.02.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री राम कुमार तिवारी, राजेन्द्र नगर, उरई-जालौन द्वारा दिनांक 09.02.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' प्लास्टिक निर्मित डिब्बा (कूड़ादान) '' पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि वे नगर पंचायत / नगर पालिका / महा नगर पालिका इत्यादि में प्लास्टिक निर्मित कूड़ादान की आपूर्ति करेंगे। यह प्लास्टिक निर्मित कूड़ादान मोल्ड प्लास्टिक के बने होते हैं तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोहे के फ्रेम में लगाकर स्थापित किया जाता है। यह प्लास्टिक निर्मित डिब्बा (कूड़ादान) इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे वह घूम सके व सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़ा आसानी से कूड़ा गाड़ी में डाल कर फेंकने हेतु ले जाया जा सके। प्रार्थी द्वारा उक्त वस्तु को अनुसूची-एक (क) के अन्तर्गत वर्णित व्हील बैरो के अन्तर्गत मानते हुए करमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, झाँसी सम्भाग, झाँसी द्वारा पत्र संख्या-3213, दिनांक 26.03.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I (क) में वर्णित व्हील बैरो के अन्तर्गत प्लास्टिक कूड़ादान को मानने का अनुरोध किया गया है जो कृषि यन्त्र के अन्तर्गत है, किन्तु व्यापारी का कथन सही नहीं है क्योंकि उक्त आइटम शेड्यूल-I में वर्णित नहीं है अत: इस पर नियमानुसार शेड्यूल-V में अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी ने प्लास्टिक निर्मित सार्वजनिक कूड़ादान को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 (ए) में वर्णित wheel barrow के अन्तर्गत मानते हुए करमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, किन्तु अनुसूची-I के क्रमांक-1 के अन्तर्गत विस्तृत रूप से कृषि कार्य में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के विवरण में wheel barrow का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त अनुसूची से वही wheel barrow आच्छादित होगा जो कृषि कार्य के उपयोग में आता हो। प्रार्थी द्वारा जिस प्लास्टिक निर्मित डिब्बा (कूड़ादान) का उल्लेख किया गया है वह कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आता है। उक्त वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होनी चाहिए।

....2

<u>**सर्वश्री राम कुमार तिवारी / प्रा0 पत्र सं0-008 / 12 / धारा-59 / पृष्ठ-2**</u>

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, झॉसी सम्भाग, झॉसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उल्लिखित वस्तु प्लास्टिक निर्मित डिब्बा (कूड़ादान) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 (ए) में उल्लिखित Agricultural implements के अन्तर्गत वर्णित wheel barrow से आच्छादित नहीं है। उक्त वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत भी नहीं है अत: प्लास्टिक निर्मित डिब्बा (कूड़ादान) पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 फरवरी, 2014

ह0 / 26.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।